

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 699]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2020 — पौष 9, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 29 दिसम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-88/2020/वाक/पांच (137).— छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख की उप-धारा (1) के खंड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट व्यापारियों के वर्ग को, कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट वर्ष के लिये, कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम के प्रावधानों एवं छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 से, उक्त अनुसूची के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धन तथा शर्तों के अध्वधीन रहते हुए, छूट प्रदान करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

अ.क्र.	व्यापारियों का वर्ग	वर्ष	प्रावधान/नियम जिनसे छूट दी गई	निर्बन्धन तथा शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र 2 सन् 2005) के अंतर्गत पंजीकृत व्यवसाई जिसकी अवधि 1 अप्रैल, 2017 से 30 जून, 2017 तक के लिए सकल विक्रय राशि रु. 50 लाख से कम है।	वित्तीय वर्ष 2017-18	धारा 21 की उप-धारा (2) के खंड (एक), (दो) एवं (चार) तथा, नियम 20(2)(ख) तथा धारा 41 की उप-धारा (2).	जब कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारी देय कर राशि तथा ब्याज, यदि कोई हो, के भुगतान पश्चात्, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 19 की उप-धारा (1) के खंड (क) के प्रावधानों के अनुसार विहित प्ररूप-17 में ऑनलाईन विवरण दिनांक 30.11.2017 तक प्रस्तुत कर दिया है एवं अवधि 01.04.2017 से 30.06.2017 के लिये व्यापार खाते की हस्ताक्षरित प्रति वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष दिनांक 31 मार्च, 2021 तक प्रस्तुत करेगा।
2.	छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर	वित्तीय वर्ष	धारा 21 की	जब कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारी

	अधिनियम, 2005 (क्र 2 सन् 2005) के अंतर्गत पंजीकृत व्यवसाई जिसकी अवधि 1 अप्रैल, 2017 से 30 जून, 2017 तक के लिए सकल विक्रय राशि रु. 50 लाख से अधिक एवं 2.50 करोड से कम है	2017-18	उप-धारा (2) के खंड (एक), (दो) एवं (चार) तथा, नियम 20(2)(ख) तथा धारा 41 की उप-धारा (2)	देय कर राशि तथा ब्याज, यदि कोई हो, के भुगतान पश्चात्, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 19 की उप-धारा (1) के खंड (क) के प्रावधानों के अनुसार विहित प्ररूप-17 में ऑनलाईन विवरण दिनांक 30.11.2017 तक प्रस्तुत कर दिया है एवं अवधि 01.04.2017 से 31.03.2018 के लिये आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के अंतर्गत यथा अपेक्षित ऑडिट रिपोर्ट की प्रति वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष दिनांक 31 मार्च, 2021 तक प्रस्तुत करेगा।
3.	छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र 2 सन् 2005) के अंतर्गत पंजीकृत व्यवसाई जिसकी अवधि 1 अप्रैल, 2017 से 30 जून, 2017 तक के लिए सकल विक्रय राशि रु. 2.50 करोड या अधिक है	वित्तीय वर्ष 2017-18	धारा 19 की उप-धारा (1) के खंड (ख) एवं (ग), धारा 21 की उप-धारा (2) के खंड (एक), (दो) एवं (चार) तथा नियम 20(2)(ख)	जब कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारी देय कर राशि तथा ब्याज, यदि कोई हो, के भुगतान के पश्चात्, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 19 की उप-धारा (1) के खंड (क) के प्रावधानों के अनुसार विहित प्ररूप-17 में ऑनलाईन विवरण दिनांक 30.11.2017 तक प्रस्तुत कर दिया है तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के अंतर्गत यथा अपेक्षित ऑडिट रिपोर्ट की प्रति एवं छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 53 के उप-नियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट प्ररूप-50 में ऑडिट रिपोर्ट की प्रति वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष दिनांक 31 मार्च, 2021 तक प्रस्तुत करेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 29 दिसम्बर 2020

क्रमांक एफ 10-88/2020/वाक/पांच (137).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-88/2020/वाक/पांच(137), दिनांक 29-12-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 29th December 2020

NOTIFICATION

No. F 10-88/2020/CT/V (137).— In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of Section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act 2005 (No.2 of 2005) the State Government hereby exempts, the class of Dealer as specified in column (2) of the Schedule below, for the year as specified in column (3), from provisions of the act and rules as specified in column (4) subject to the restriction and conditions specified in column (5) of the said Schedule, namely

No.	Class of dealer	Year	Section/ Rule from which exemption is granted	Restriction and Conditions
1	2	3	4	5
1	Registered dealers under the Chhattisgarh Value Added Tax Act 2005, whose turnover for the period from 1st day of April, 2017 to 30th day of June, 2017 is less than Rs. 50 Lakh.	Financial Year 2017-18	Clause (i), (ii) and (iv) of sub-section (2) of section 21 and Rule 20(2)(b) and sub section (2) of Section 41.	When the dealer specified in column (2) has paid the tax payable with interest, if any, according to Form-17 prescribed in clause (a) of sub-section (1) of Section 19 and filed such form up to 30-11-2017 and shall furnish a signed copy of Trading account for the period 01/04/2017 to 30/06/2017 before the Commercial Tax Officer up to 31st March 2021.
2	Registered dealers under the Chhattisgarh Value Added Tax Act 2005, whose turnover for the period from 1st day of April, 2017 to 30th day of June, 2017 is more than Rs. 50 Lakh and below than Rs. 2.50 Cr.	Financial Year 2017-18	Clause (i), (ii) and (iv) of sub-section (2) of section 21 and Rule 20(2)(b) and sub section (2) of Section 41.	When the dealer specified in column (2) has paid the tax payable with interest, if any, according to Form-17 prescribed in clause (a) of sub-section (1) of Section 19 and filed such form up to 30-11-2017 and shall furnish a copy of audit report as required under Section 44AB of the Income Tax Act, 1961 before the Commercial Tax Officer up to 31st March 2021.
3	Registered dealers under the Chhattisgarh Value Added Tax Act 2005, whose turnover for the period from 1st day of April, 2017 to 30th day of June, 2017 is more than Rs. 2.50 Cr or more.	Financial Year 2017-18	Clause (b) and (c) of sub-section (1) of Section 19, Clause (i), (ii) and (iv) of sub-section (2) of section 21 and Rule 20(2)(b).	When the dealer specified in column (2) has paid the tax payable with interest, if any, according to Form-17 prescribed in clause (a) of sub-section (1) of Section 19 and filed such form up to 30-11-2017 and shall furnish a copy of audit report as required under Section 44AB of the Income Tax Act, 1961 and a copy of audit report in Form-50 as specified in sub-rule (1) of rule 53 of Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006 before the Commercial Tax Officer up to 31st March 2021.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 29 दिसम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-88/2020/वाक/पांच (138).— छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख की उप-धारा (1) के खंड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट व्यापारियों के वर्ग को, कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट वर्ष के लिये, कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम के प्रावधानों एवं छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 से, उक्त अनुसूची के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धन तथा शर्तों के अधीन रहते हुए, छूट प्रदान करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

अ. क्र.	व्यापारियों का वर्ग	वर्ष	प्रावधान/नियम जिनसे छूट दी गई	निर्बन्धन तथा शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र 2 सन् 2005) की अनुसूची-दो के भाग-तीन के सरल क्रमांक 1, 2 एवं 5 में यथा विनिर्दिष्ट वस्तुओं का व्यवसाय करने वाले व्यवसायी को छोड़कर, ऐसे पंजीकृत व्यवसाई जिसके वर्ष 2017-18 के प्रथम त्रैमास की सकल विक्रय राशि रु. 50 लाख से कम है।	वित्तीय वर्ष 2017-18	धारा 21 की उप-धारा (2) के खंड (एक), (दो) तथा, नियम 20(2)(क) तथा धारा 41 की उप-धारा (2)	जब कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारी देय कर राशि तथा ब्याज, यदि कोई हो, के भुगतान पश्चात्, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 19 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के प्रावधानों के अनुसार विहित प्ररूप-18 में ऑनलाईन विवरण दिनांक 31.03.2021 तक वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर देता है।
2.	छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र 2 सन् 2005) की अनुसूची-दो के भाग-तीन के सरल क्रमांक 1, 2 एवं 5 में यथा विनिर्दिष्ट वस्तुओं का व्यवसाय करने वाले व्यवसायी को छोड़कर, ऐसे पंजीकृत व्यवसाई जिसके वर्ष 2017-18 के प्रथम त्रैमास की सकल विक्रय राशि रु. 50 लाख से अधिक एवं 2.5 करोड़ से कम है।	वित्तीय वर्ष 2017-18	धारा 21 की उप-धारा (2) के खंड (एक), (दो) तथा, नियम 20(2)(क) तथा धारा 41 की उप-धारा (2)	जब कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारी देय कर राशि तथा ब्याज, यदि कोई हो, के भुगतान पश्चात्, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 19 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के प्रावधानों के अनुसार विहित प्ररूप-18 में ऑनलाईन विवरण एवं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के अंतर्गत यथा अपेक्षित ऑडिट रिपोर्ट की प्रति दिनांक 31.03.2021 तक वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर देता है।
3.	छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र 2 सन् 2005) की अनुसूची-दो के भाग-तीन के सरल क्रमांक 1, 2 एवं 5 में यथा विनिर्दिष्ट वस्तुओं का व्यवसाय करने वाले व्यवसायी को छोड़कर, ऐसे पंजीकृत व्यवसाई जिसके वर्ष 2017-18 के प्रथम त्रैमास की सकल विक्रय राशि रु. 2.5 करोड़ या अधिक है।	वित्तीय वर्ष 2017-18	धारा 21 की उप-धारा (2) के खंड (एक), (दो) एवं (तीन) तथा नियम 20(2)(क)	जब कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारी देय कर राशि तथा ब्याज, यदि कोई हो, के भुगतान के पश्चात्, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 19 की उप-धारा (1) के खंड(ख) के प्रावधानों के अनुसार विहित प्ररूप-18 में ऑनलाईन विवरण तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के अंतर्गत यथा अपेक्षित ऑडिट रिपोर्ट की प्रति एवं छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 53 के उप-नियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट प्ररूप-50 में आडिट रिपोर्ट की प्रति वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष दिनांक 31.03.2021 तक प्रस्तुत कर देता है।
4.	छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र 2 सन् 2005) के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे व्यवसाई जो अनुसूची-दो के भाग-तीन के सरल क्रमांक 1, 2 एवं 5 में यथा विनिर्दिष्ट वस्तुओं का क्रय छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पंजीकृत व्यवसाई से करते हैं।	वित्तीय वर्ष 2017-18	धारा 21 की उप-धारा (2) के खंड (एक), (दो) एवं (तीन) तथा नियम 20(2)(क) तथा धारा 41 की उप-धारा (2)	जब कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारी देय कर राशि तथा ब्याज, यदि कोई हो, के भुगतान के पश्चात्, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 19 की उप-धारा (1) के खंड(ख) के प्रावधानों के अनुसार विहित प्ररूप-18 में ऑनलाईन विवरण तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के अंतर्गत यथा अपेक्षित ऑडिट रिपोर्ट की प्रति वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष दिनांक 31.03.2021 तक प्रस्तुत कर देता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 29 दिसम्बर 2020

क्रमांक एफ 10-88/2020/वाक/पांच (138).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-88/2020/वाक/पांच(138), दिनांक 29-12-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 29th December 2020

NOTIFICATION

No. F 10-88/2020/CT/V (138).— In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of Section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act 2005 (No.2 of 2005) the State Government hereby exempts, the class of Dealer as specified in column (2) of the Schedule below, for the year as specified in column (3), from provisions of the act and rules as specified in column (4), subject to the restriction and conditions specified in column (4) of the said Schedule, namely :

No.	Class of dealer	Year	Section/Rule from which exemption is granted	Restriction and Conditions
1	2	3	4	5
1	Registered dealers under the Chhattisgarh Value Added Tax Act 2005, whose annual turnover in first quarter of year 2017-18 is less than Rs.50 lacs Except dealer who deals in goods specified in S.No.1, 2 and 5 of Part III of Schedule-II	Financial Year 2017-18	Clause (i), (ii) of sub-section (2) of section 21 and Rule 20(2)(a) and sub section (2) of Section 41.	When the dealer specified in column (2) has paid the tax payable with interest, if any, according to Form-18 prescribed in clause (b) of Sub section (1) of section 19 and filed such form before the Commercial Tax Officer up to 31/03/2021.
2	Registered dealers under the Chhattisgarh Value Added Tax Act 2005, whose annual turnover in first quarter of year 2017-18 is more than 50 lacs and less than Rs.2.5 Cr. Except dealer who deals in goods specified in S.No.1,2 and 5 of Part III of Schedule-II	Financial Year 2017-18	Clause (i) and (ii) of sub-section (2) of section 21 and Rule 20(2)(a) and sub section (2) of Section 41.	When the dealer specified in column (2) has paid the tax payable with interest, if any, according to Form-18 prescribed in clause(b) of Sub section (1) of section 19 and file such form-18 up to 31-3-2021 along with audit report required under section 44(AB) of Income tax Act 1961 before the Commercial Tax Officer.
3	Registered dealers under the Chhattisgarh Value Added Tax Act 2005, whose annual turnover in first quarter of year 2017-18 is Rs.2.5 Cr. Or more, except dealer who deals in goods specified in S.No.1, 2 and 5 of Part III of Schedule-II.	Financial Year 2017-18	Clause (i), (ii) and (iii) of sub-section (2) of section 21 and Rule 20(2)(a).	When the dealer specified in column (2) has paid the tax payable with interest, if any, according to Form-18 prescribed in clause(b) of Sub section (1) of section 19 and file such form up to 31-3-2021 along with audit report required under section 44(AB) of Income tax Act 1961 and a copy of audit report in Form-50 as specified in sub-rule (1) of rule 53 of Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006 before the Commercial Tax Officer.
4	Registered dealers under	Financial	Clause (i), (ii) and	When the dealer specified in

the Chhattisgarh Value Added Tax Act 2005, who purchased goods specified in S.No.1, 2 and 5 of Part III of Schedule-II from Registered dealer under CG VAT Act 2005	Year 2017-18	(iii) of sub-section (2) of section 21 and Rule 20(2)(a) and sub section (2) of Section 41.	column (2) has paid the tax payable with interest, if any, according to Form-18 prescribed in clause(b) of Sub section (1) of section 19 and file such form up to 31-3-2021 along with audit report required under section 44(AB) of Income tax Act 1961 before the Commercial Tax Officer.
---	--------------	---	---

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 29 दिसम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-88/2020/वाक/पांच (139).— यतः, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005), केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) या छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) के अंतर्गत कर भुगतान करने हेतु दायी व्यवसायियों की ऐसी सभी कर निर्धारण कार्यवाहियां, जिन्हें छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 21 की उप-धारा (7) के प्रावधानों के अंतर्गत कलैण्डर वर्ष 2020 के अंत तक पूर्ण किया जाना है, और जिन्हें कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा किये जा रहे सभी संभव प्रयासों के उपरांत भी विहित कालावधि के भीतर पूर्ण नहीं की जा सकता है और कर निर्धारण अधिकारियों को ऐसी कार्यवाहियों को गुणदोष के आधार पर पूर्ण करने के लिये सक्षम बनाने हेतु, यह आवश्यक है कि ऐसी कार्यवाहियों को पूर्ण करने के लिये विहित समय-सीमा बढ़ायी जाए;

अतएव, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 21 की उप-धारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, प्रत्येक व्यवसायी के संबंध में उक्त अधिनियमों के अंतर्गत ऐसी प्रत्येक कर निर्धारण कार्यवाही, जो सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष लंबित हो, और जो 31 दिसम्बर 2020 तक पूर्ण नहीं की जाती है, को पूर्ण करने हेतु अवधि को 30 जून, 2021 तक बढ़ाती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 29 दिसम्बर 2020

क्रमांक एफ 10-88/2020/वाक/पांच (139).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-88/2020/वाक/पांच (139), दिनांक 29-12-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 29th December 2020

NOTIFICATION

No. F 10-88/2020/CT/V (139).— Whereas, the State Government is satisfied that all such assessment proceedings of dealers liable to pay tax under the Chhattisgarh Value Added Tax Act 2005(No.2 of 2005) the Central sales Tax Act 1956 (No.74 of 1956) AND The Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Per Kar Adhiniyam 1976 (No.52 of 176), which have to be completed by the end of the Calendar Year 2020 under the provisions of sub-Section (7) of Section 21 of The Chhattisgarh Value Added Tax Act 2005 (No.2 of 2005), can not be completed within the prescribed period despite all possible efforts being made by the assessing

authorities. In order to enable the assessing authorities to complete such proceedings on merits, it is essential in the interest of justice that the time limit prescribed for the completion of such proceedings is extended.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 21 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No.2 of 2005) the State Government, hereby, extends up to 30th June 2021, the period of completion of every such assessment proceedings under the said Acts in respect of every dealer pending before Assistant-Commissioner of Commercial Tax, Commercial Tax Officer and Assistant Commercial Tax Officer which is not completed by 31 December 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.